राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

क्रमांक : राऋभमवि/अल/परीक्षा-2018/691 दिनांक : 09.05.2018

बी.एड. परीक्षा, 2018 के परीक्षा फॉर्म भरवाने सम्बन्धी विज्ञप्ति

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर से सम्बद्धता प्राप्त अलवर जिले के समस्त बी.एड. भाग प्रथम/द्वितीय के (नियमित/पूर्व) एवं (B.Ed. Ord. 326-D) के छात्रों को सूचित किया जाता है कि उनके परीक्षा–2018 के परीक्षा फॉर्म वेबसाइट www.rrbmuniv.ac.in से भरने की तिथियाँ निम्नानुसार है :–

बिना विलम्ब शुल्क	**11.05.2018 से 17.05.2018 तक**
100/– रूपये विलम्ब शुल्क सहित	**18.05.2018 से 22.05.2018 तक**

परीक्षा आवेदन– पत्र भरने हेतु दिशा निर्देश परीक्षा फीस का विवरण की सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट www.rrbmuniv.ac.in पर अपलोड कर दी गई है।

नोट :–

परीक्षा फॉर्म भरने सम्बन्धी समस्या के लिए हेल्पलाईन नम्बर 0144–2730321 पर सम्पर्क कर सकते है।

परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक : राऋभमवि/अल/परीक्षा-2018/691 दिनांक : 09.05.2018

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–</u>

1. (i) समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि नियमित, पूर्वछात्र परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म सही है एवं दो प्रतियों मे परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न है।
2. निर्धारित परीक्षा शुल्क का विवरण दिशा–निर्देश में अंकित है जो विश्वविद्यालय वेबसाईट www.rrbmuniv.ac.in पर उपलब्ध है। **<u>विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में कृपया महाविद्यालय कोड़ एवं सम्पर्क सूत्र (मोबाईल एवं ई–मेल) आवश्यक रूप से अंकित करें।</u>**

   (ii) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा बी.एड. पार्ट–प्रथम एवं द्वितीय हेतु आवंटित सीटों एवं आवंटित विषयों के अनुसार ही नियमित छात्रों से फॉर्म भरवाए गए है, इस आशय को शपथ–पत्र संबंधित प्राचार्यो द्वारा परीक्षा फार्मों के साथ संलग्न करना होगा।

   (iii) सम्बन्धित महाविद्यालय, परीक्षा आवेदन– पत्र अग्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उस कक्षा की पात्रता पूर्ण करता है तथा उसके परीक्षा आवेदन–पत्र की सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से सही भरी जा चुकी है। यदि आवेदन–पत्र में किसी प्रकार की प्रविष्टि जैसे– परीक्षार्थी के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, पूर्व में उत्तीर्ण किए गए अनिवार्य विषयों के नाम, प्राप्त अंकों का विवरण, पूर्व की परीक्षा के अनुक्रमांक अथवा परीक्षार्थी के नामांकन आदि नहीं पाये जाते हैं तो उन्हें परीक्षार्थी द्वारा पूर्ण करवाने के पश्चात ही परीक्षा आवेदन–पत्र अग्रेषित करें। महाविद्यालय द्वारा यह ध्यान रखा जाना है कि आवेदन–पत्र की कम्प्यूटर प्रति ऊपर रखें तथा उसके नीचे कार्यालय प्रति मय पूर्व में उत्तीर्ण आवश्यक अंकतालिकाएँ आदि संलग्न हो। उपरोक्त कारणों से परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त होने की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय ही जिम्मेवार होगा।
3. प्रभारी अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करवाने की व्यवस्था करें।
4. वित्त नियंत्रक, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित करने का श्रम करें कि परीक्षा–2018 हेतु बैंक गेटवे द्वारा जमा किए गए परीक्षा शुल्क राशि विश्वविद्यालय के मुख्य बैंक खातों में जमा करवा दी गई है एवं जमा विवरण प्राप्त कर Reconcile करने का श्रम करें।
5. मीडिया प्रभारी, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में प्रसारित होने वाले मुख्य समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर) में एक बार प्रकाशित करवाने एवं समाचार के रूप में भी प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
6. प्रबन्धक, एक्सिस बैंक, अलवर।
7. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय/कुल सचिव, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
8. समस्त अनुभाग अधिकारी परीक्षा संचालन व गोपनीय अनुभाग/शैक्षणिक– द्वितीय/सेलर–I, परीक्षा विविध, रिकार्ड शाखा, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
9. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म।

परीक्षा नियंत्रक

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

क्रमांक : राऋभमवि/अल/परीक्षा-2018/692 दिनांक : 09.05.2018

बी.एड. भाग प्रथम/द्वितीय/ Ord. 326-D परीक्षा–2018 के लिए ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरवाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश

1. **ऑनलाईन परीक्षा शुल्क एवं आवेदन–पत्र**

(अ) सर्वप्रथम छात्र वेबसाईट www.rrbmuniv.ac.in पर संबंधित कक्षा की श्रेणी (यथा नियमित/पूर्व छात्र) का चयन कर अध्ययन किए गए विषयों का चयन करते हुए परीक्षा फॉर्म भरेंगे।

(ब) फॉर्म ऑनलाईन पूर्ण भरने के पश्चात भरे गए फॉर्म के आधार पर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ही शुल्क का निर्धारण होगा। इस चरण में फॉर्म प्रिंट नहीं होगा केवल फीस निर्धारित होगी। निर्धारित परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से नेट बैकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड आदि से ही करनी होगी। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा शुल्क जमा होने के बाद परीक्षा फॉर्म का प्रिंट (दो प्रतियों में) ले सकेंगे।

(स) शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर (स्थाई/आंशिक) छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क की छूट है। इस संबंध में कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र जो कि राजकीय मेडीकल ऑफीसर से प्रति हस्ताक्षरित हो आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक हैं अन्य निर्धारित शुल्क देय होगा।

(द) दो प्रतियों में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी पर यथा स्थान हस्ताक्षर कर मय आवश्यक दस्तावेजों, पूर्व में उत्तीर्ण अंकतालिकाओं आदि के साथ अगले दो कार्य दिवसों में परीक्षा फॉर्म पर अंकित संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाना होगा।

परीक्षार्थी ध्यान रखें :–

(अ) यदि परीक्षा फॉर्म में छपी हुई कोई भी सूचना सही नहीं है या आपके विवरण से मेल नहीं खाती है तो इसे निरस्त मान कर प्रारम्भ से नया परीक्षा फॉर्म भरें।

(ब) परीक्षा फॉर्म में मुद्रित सभी सूचनाऐं सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़े।

(स) एक बार परीक्षा शुल्क जमा करवाने के पश्चात शुल्क वापस नहीं होगा।

2. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम–323, जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार नियमित परीक्षार्थियों के लिए 80 प्रतिशत कोर्स वर्क में व 90 प्रतिशत इंटर्नशिप में उपस्थिति अनिवार्य है। कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों की संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त सूची के आधार पर वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों की सूची सत्र 2017–18 पूर्ण होने के पश्चात रूपए 50/– के स्टाम्प पेपर पर निम्न प्रोफार्मा में विश्वविद्यालय को भेजेंगे।

शपथ पत्र

मैं .... प्राचार्य .... कॉलेज कोड न. .... शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि महाविद्यालय में सभी छात्रों का प्रवेश P.T.E.T.- 2017 सूची के अनुसार ही किया गया है तथा निम्न विद्यार्थियों के अतिरिक्त सभी ने बी.एड. पार्ट प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा – 2018 के लिए नियमानुसार उपस्थिति पूर्ण कर ली है :–

क्र.सं.	छात्र का नाम	पिता का नाम	कुल वर्ष दिवस	उपस्थिति दिवस	उपस्थिति का प्रतिशत

प्राचार्य

3. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम–182 जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार परीक्षा शुल्क एक बार जमा होने के उपरान्त लौटाया नहीं जावेगा।
4. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम–186–ए व बी जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के प्रावधानों के अनुसार छात्र एक वर्ष में दो डिग्रीयों की परीक्षा नहीं दे सकते है अन्यथा परीक्षार्थी की दोनों परीक्षाएं निरस्त करने का प्रावधान है।
5. राजस्थान विश्वविद्यालय बी.एड. अध्यादेश 326–डी जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार एडीशनल परीक्षा में राजस्थान विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त समकक्ष विश्वविद्यालय से बी.एड. उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल एक ऐसे विषय में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिसका चयन उन्होंने पूर्व में बी.एड. उत्तीर्ण परीक्षा में नहीं किया हो।
6. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम–169–H जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित होने/अंकतालिका जारी होने के पश्चात यदि किसी प्रकार की गलती संज्ञान में आती है, तो परीक्षा परिणाम/ अंकतालिका में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार विश्वविद्यालय को है।
7. विश्वविद्यालय परीक्षा 2017 में प्रविष्ठ हो चुके छात्रों के परीक्षा फॉर्म पिछली कक्षा के रोल नम्बर से ही भरे जा सकेंगे। इस फॉर्म की जाँच कर लें। इस फॉर्म में अपना ई–मेल आई.डी. मोबाईल नम्बर एवं घर के पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो परीक्षार्थियों के लिए संशोधन करने की सुविधा उपलब्ध होगी।
8. विश्वविद्यालय में पहली बार नामांकित होने वाले बी.एड. पार्ट प्रथम फ्रेश परीक्षा फार्म भरने वाले छात्र सम्बन्धित कक्षा का चयन करने के पश्चात जो आवेदन –पत्र खुलता है उसमें सभी प्रविष्टियों को अपने स्तर पर भरकर तकनीकी विधि से अपना फोटो तथा हस्ताक्षर स्केन कर परीक्षा आवेदन– पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड करें । ध्यान रहें अपना, पिता व माता का नाम वही भरें जैसा कि बोर्ड/विश्वविद्यालय की पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका में अंकित है।
9. निम्न श्रेणी के परीक्षार्थी भी फ्रेश परीक्षा फॉर्म भरेंगे :–

   (अ) ऐसे परीक्षार्थी जो विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा–2017 में बैठे है परन्तु यदि :–

   (I) किसी कारणवश रोल नम्बर से परीक्षा फॉर्म ऑपन नहीं हो रहा है।

   (II) आर.एल./यू.एम. घोषित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम यदि किसी कारणवश अभी तक घोषित नहीं हुआ है अथवा डाटा अपडेट नहीं हो सका है।

   (ब) राजस्थान विश्वविद्यालय B.Ed. Ord. 326-D, जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के अनुसार सभी परीक्षार्थी फ्रेश परीक्षा फॉर्म भरेंगे। ध्यान रहे एक एडिशनल ऐसे विषय का चयन करें जिसका अध्ययन उन्होंने बी.एड. उत्तीर्ण परीक्षा में नहीं किया हो।
10. सम्बन्धित महाविद्यालय एवं परीक्षार्थी ध्यान रखें कि चयनित शैक्षणिक विषयों का एक बार चयन कर ऑनलाईन शुल्क जमा करवाने के पश्चात बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव संभव नहीं होगा।
11. जिन छात्रों ने परीक्षा 2017 में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है तथा उनका पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित नहीं हुआ है, ऐसे छात्र वर्तमान में जो पात्रता रखते है उसके अनुसार निर्धारित समय अवधि में ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करें। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात यदि इनका परिणाम परिवर्तित होता है तो परीक्षा फार्म आवश्यक संशोधन के लिए निर्धारित प्रोफार्मा भरकर बकाया शुल्क तथा अंकतालिका की प्रति सहित विश्वविद्यालय में जमा करावें। निर्धारित समय अवधि के पश्चात परीक्षा आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
12. बी.एड. भाग प्रथम के परीक्षा आवेदन पत्र के साथ 10+2+3 की अंकतालिकाएं पी.टी.ई.टी. 2017 का आवंटन पत्र एवं प्रवेश की रसीद, आरक्षित वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र आदि की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
13. बी.एड. भाग द्वितीय के परीक्षा आवेदन पत्र के साथ बी.एड. भाग प्रथम एवं स्नातक/स्नातकोत्तर की अंकतालिकाऐं संलग्न करें।
14. B.Ed. Ord. 326-D के परीक्षार्थी बी.एड. स्नातक/स्नातकोत्तर की अंकतालिकाएं संलग्न करें।
15. ऐसे छात्र जो बी.एड. भाग प्रथम के तीन विषयों तक (अनिवार्य/ऐच्छिक विषय/प्रायोगिक) में अनुत्तीर्ण हैं वे उन विषयों की परीक्षा बी.एड. भाग द्वितीय की परीक्षा के साथ प्रविष्ठ होंगे।
16. ऐसे छात्र जो बी.एड. भाग प्रथम एवं द्वितीय के तीन विषयों से अधिक (अनिवार्य/ऐच्छिक विषय/प्रायोगिक) विषयों में अनुत्तीर्ण हैं वे बी.एड. भाग प्रथम एवं द्वितीय के प्रायोगिक सहित

सभी विषयों में पूर्व छात्र के रूप में प्रविष्ठ होंगे। साथ ही जो छात्र आंतरिक मूल्यांकन में अनुपस्थित रहे हैं उन्हें भी आंतरिक एवं सैद्धान्तिक दोनों में प्रविष्ठ होना अनिवार्य है।

17. ऐसे छात्र जो बी.एड. भाग द्वितीय के तीन विषयों तक (अनिवार्य/ऐच्छिक विषय/प्रायोगिक) में अनुत्तीर्ण हैं वे उन विषयों की परीक्षा पूर्व छात्र के रूप में बी.एड. भाग द्वितीय की परीक्षा में प्रविष्ठ होंगे।
18. राजस्थान विश्वविद्यालय बी.एड. अध्यादेश 326–डी जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप से लागू है, के तहत परीक्षा में प्रविष्ठ होने वाले छात्र सम्बन्धित विषय एवं उसकी प्रायागिक परीक्षा में बी.एड. भाग द्वितीय के साथ सम्मिलित होंगे।
19. ऐसे छात्र जिनकी गत वर्ष उपस्थिति पूर्ण नहीं थी अर्थात जिनकी (Short Attendance) थी वे छात्र परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पात्र नही है।
20. परीक्षा फॉर्म जमा करने सम्बन्धी निर्देश :–
(अ) नियमित परीक्षार्थी अपने परीक्षा फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों सहित सम्बन्धित महाविद्यालय जिसके वे नियमित परीक्षार्थी हैं वहां पर जमा करवायें।
(ब) पूर्व परीक्षार्थी (Ex-Student) परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी उसी महाविद्यालय में जमा करवायें, जिस महाविद्यालय से वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुए थे।
21. परीक्षार्थी परीक्षा फार्म को सावधानी पूर्वक भरें, अन्यथा :–
(अ) पूर्व छात्र के फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती (जैसे–नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, एनरोलमेन्ट न. इत्यादि) हो तो परीक्षा फॉर्म की दोनों प्रतियों में लाल स्याही से ठीक कर प्रमाण सहित संबंधित महाविद्यालय में जमा करायें। बाद में संशोधन करवाने पर रूपये 1000/– प्रति गलती परीक्षार्थी द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करवाने पर सुधार संभव होगा।
(ब) सम्बन्धित महाविद्यालय नियमित परीक्षार्थी के परीक्षा फॉर्मो की सावधानी पूर्वक जांच करलें। फॉर्म में यदि कोई गलती हो तो दोनो प्रतियों में लाल स्याही से ठीक कर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को अग्रेषित करें। अन्यथा किसी भी प्रकार की गलती होने पर रू. 1000/– प्रति गलती महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को अदा करना होगा।
22. परीक्षार्थी ध्यान रखें कि विश्वविद्यालय में डाक द्वारा प्राप्त परीक्षा फॉर्मो पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः ऐसे परीक्षा फॉर्म स्वतः ही निरस्त समझे जाएंगे।
23. ऐसे छात्र जिन्होंने अपनी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से उत्तीर्ण की है वे अपनी अंकतालिका की सत्यापित कॉपी ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करें।
24. जो छात्र पूर्व में ही विश्वविद्यालय में नामांकित हैं अर्थात स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हैं, उन्हें सम्बन्धित कक्षा की अंकतालिका की सत्यापित फोटो प्रति परीक्षा आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक हे।
25. परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्र की सूचना उनके परीक्षा प्रवेश–पत्र में उपलब्ध करायी जायेगी।
26. ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात निर्धारित समय सीमा में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं कराते हैं, उन्हें सिर्फ परीक्षा शुल्क जमा कराने के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
27. **महाविद्यालय द्वारा वेबसाईट पर पंजीयन तथा परीक्षा फॉर्म जमा कर अग्रेषित करने की प्रक्रिया :–**
नियमित एवं पूर्व छात्र ऑनलाईन शुल्क जमा करवाकर दो प्रतियों में परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी मय आवश्यक दस्तावेज के संबंधित महाविद्यालय (जो परीक्षा फॉर्म पर मुद्रित हैं) में जमा करवायेंगे। संबंधित महाविद्यालय परीक्षा फॉर्मों को निम्नानुसार कक्षावार व्यवस्थित कर निर्धारित तिथि तक विश्वविद्यालय को सुपुर्द करेंगे :–

(A) नियमित एवं पूर्व छात्र परीक्षार्थी :–

(अ) सर्वप्रथम सभी महाविद्यालय उनको आवांटित महाविद्यालय कोड से वेबसाईट www.rrbmuniv.ac.in के कॉलेज पोर्टल पर अपना ई–मेल आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर का रजिस्ट्रेशन करवायेगें। तत्पश्चात उन्हें महाविद्यालय लॉगइन आई.डी. एवं वन टाईम पासवर्ड (One Time Password) उनके पंजीकृत मोबाईल/ई–मेल आई.डी. पर उपलब्ध कराया जायेगा। महाविद्यालय अपना नया पासवर्ड बदलने के ऑप्सन पर अपना नया पासवर्ड उसी वेबसाईट पर अपने स्तर पर बदल सकेंगे।

(ब) ऑनलाईन गेटवे द्वारा जमा शुल्क के साथ प्राप्त परीक्षा फॉर्मों की हार्ड कॉपी को कक्षा एवं श्रेणीवार उसी वेबसाईट के कॉलेज पोर्टल पर प्रतिदिन प्रत्येक छात्र के फॉर्म को Verify बटन पर Verify करें। संबंधित कक्षा के सभी फॉर्म Verify होने के पश्चात प्रिंट

ऑप्सन पर जाकर Nominal Roll का प्रिंट लें। तत्पश्चात Nominal Roll लिस्ट के क्रम के अनुसार ही परीक्षा फॉर्मों को व्यवस्थित कर Nominal Roll लिस्ट के साथ विश्वविद्यालय में स्वयं जमा करवायें।

(स) महाविद्यालय ध्यान रखें – उक्त प्रक्रिया के अभाव में परीक्षा फार्म स्वीकार नहीं किये जा सकेंगे।

(B) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा बी.एड. पार्ट– प्रथम एवं द्वितीय कक्षाओं हेतु आवंटित सीटों एवं आवंटित विषयों के अनुसार ही नियमित छात्रों से फॉर्म भरवाए गए हैं, इस आशय का शपथ–पत्र संबंधित प्राचार्यों द्वारा परीक्षा फॉर्मों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(C) सम्बन्धित महाविद्यालय सुनिश्चित करें कि पूर्व परीक्षार्थियों (Ex- Student) के परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी उसी महाविद्यालय में जमा करें, जिस महाविद्यालय से वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुए थे। शपथ पत्र के अभाव में परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

(D) ऑनलाईन गेटवे के माध्यम से जमा शुल्क के परीक्षा फॉर्मों को ही स्वीकार करें। अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क के परीक्षा फॉर्मों को स्वीकार नहीं करें। यह जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

महाविद्यालय में नियमित एवं पूर्व परीक्षार्थी के ऑनलाईन गेटवे द्वारा जमा परीक्षा शुल्क के पश्चात संकलित परीक्षा फॉर्मों की हार्ड कॉपी दो प्रतियों में मय दस्तावेज दिशा– निर्देश में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा फॉर्मों को व्यवस्थित कर अनिवार्य रूप से परीक्षा फॉर्म दिनांक 28.05.2018 तक महाविद्यालय को ही विश्वविद्यालय में जमा कराना होगा। जिसका यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

नोट :– महाविद्यालय लॉगईन करने एवं परीक्षा फॉर्म Verify करने सम्बन्धी समस्या के लिए हेल्पलाईन नम्बर 0144–2730321 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

28. परीक्षा 2018 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क स्पोर्टस बोर्ड शुल्क एवं विकास शुल्क निम्नानुसार है :–

S. No.	Name of Exam	Exam Fees 2017-18	
		Regular	Ex- Student
1.	B.Ed. Part- I	2670/-	3030/-
2.	B.Ed. Part- II	2860/-	3220/-
3.	B.Ed. Part- I (Due Ppaer) (One Paper)	1340/-	-
4.	B.Ed. Part- I (Due Paper) (Two Paper)	2000/-	-
5.	B.Ed. Part- I (Due Paper) (Three Paper)	2670/-	-
6.	Fee for Physically Challanged Students	490/-	550/-
7.	University Employee wards	50/-	50/-

In addition to above exam fee Rs. 110/- Per Practical Examination be charged from the Regular Student & Ex- Student appearing in professional Examination for the Session 2017-18

Note :

1. Every regular student will deposit Development fee of Rs. 50/- and sports Board fee of Rs. 50/- the respective colleges in addition to above exam fees.
2. शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन मूक बधिर (स्थाई/आंशिक) छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क छूट है। इस संबंध में कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र जो कि मेडीकल ऑफीसर से हस्ताक्षरित हो, आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्य निर्धारित शुल्क देय होगा।
3. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त संबंधित महाविद्यालय द्वारा अन्य शुल्क परीक्षार्थियों से नहीं लिया जावे।

परीक्षा नियंत्रक